दुग्ध नीति के महत्वपूर्ण बिन्दु

- गोकुल पुरस्कार– इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के दुग्ध उत्पादको/किसानों की अतिरिक्त आय के स्त्रोत बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक दुग्ध संघो मे दुग्ध सहकारिताओं के माध्यम सें सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले दुग्ध उत्पादक का चयन कर नकद पुरस्कार एवं शील्ड देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

  इसी प्रकार प्रदेश स्तर पर सहकारिताओं के माध्यम से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले 03 दुग्ध उत्पादकों क्रमशः प्रथम को रू0 1.00 लाख, द्वितीय को रू0 75000.00 एवं तृतीय को रू0 50000.00 का नकद पुरस्कार एवं शील्ड देकर प्रोत्साहित किया जायेगा।

- महिला डेरी परियोजना– इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की दुग्ध सहकारिताओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को प्रोत्साहित करने एवं उनको रोजगार देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृण किया जा रहा है।
- सघन मिनी डेरी परियोजना– इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु एवं सीमान्त कृषकों को अधिक उत्पादन वाले दुधारू पशुओं के लिए ऋण एवं अनुदान देकर स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- एकीकृत दुग्ध विकास परियोजना– इस योजना के अन्तर्गत उन जनपदों को सम्मिलित किया जाता है जो आपरेशन फ्लड योजना के अन्तर्गत नहीं लिया गया है में 100 प्रतिशत अनुदान के माध्यम से सभी दुग्ध कार्यक्रम जिसमें दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, प्रसस्करण एवं विपणन को सुदृढ़ किया जाता है।
- दुग्ध सहकारिताओं को सहायता– इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की अत्यधिक हानि/आर्थिक रूप से कमजोर दुग्ध संघों को उनके द्वारा अर्जित हानियों/देनदारियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें पुनर्जिवित किया जाता है।
- गुणवत्तापूर्ण एवं शुद्ध दुग्ध उत्पादन हेतु अवस्थापना सुविधा सुदृढ़ीकरण– इस योजना के अन्तर्गत उच्च गुणवत्ता के लिए प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण, अतिरिक्त दुग्ध चिलिंग सुविधा, दुग्ध जांच किट की सुविधा दुग्ध संग्रह केन्द्र पर उपलब्ध कराकर शुद्ध गुणवत्ता का दुध उपभोक्ता को उपलब्ध कराना एवं दुग्ध उत्पादकों को दूध की अच्छी कीमत उपलब्ध कराया जा रहा है।
- चारा विकास कार्यक्रम– इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों/किसानों को हरा चारा बीज के मिनी किट वितरित कर हरा चारा उगाने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे उन्हें चारे की कमी न रहे एवं दूध की गुणवत्ता में भी वृद्धि करायी जाती है।
- प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न दुग्ध संघों को कार्यशील पूंजी एवं प्रबन्धकीय अनुदान की सहायता देकर उन्हें और अधिक गतिशील बनाया जा रहा है।
- प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशुओं को कीड़ों की रोकथाम के लिए डिवार्मर, थनैला रोग एवं किलनी की रोकथाम के लिए निःशुल्क दवाएं दुग्ध समितियों के माध्यम से दी जा रही है।
- प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों/किसानों को विभिन्न दुग्ध विकास कार्यक्रमों का प्रशिक्षण स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों पर निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
- प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों के दूध की जांच/तौल के अनुसार कीमत उपलब्ध कराने एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से समितियों मे ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (एएमसीयू)/डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट (डीपीएमसीयू) की स्थापना करायी जा रही है, तथा समिति स्तर पर ही दूध की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) की स्थापना भी करायी जा रही है।